राजस्थान विधान सभा

१३ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक–१२ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ४–०६ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १२३

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् सरकार द्वारा विदेशों में ट्रेनिंग के लिये भेजे गये आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद किन किन आई. ए. एस. और आर. ए. एस. कर्मचारियों को सरकार द्वारा विदेशों में ट्रेनिंग के लिये भेजा गया ?

(ख) किस किस कर्मचारी को कितना २ समय ट्रेनिंग में किस किस मुल्क में लगा और उन पर कितना २ खर्चा राज्य सरकार को करना पड़ा ?

(ग) वर्तमान समय में उक्त कर्मचारी किस किस स्थान पर काम कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—(क) श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव, आई ए. एस. को।

(ख) डेन्मार्क में करीब २ मास

(ग) उस काल के वेतन के रू० २८२७।४।० उनको दिये गये। इसके अलावा और खर्चा आई. एल. ओ. ने दिया

(घ) कलेक्टर, सीकर के पद पर।

श्री चांदमल मेहता—श्री भार्गव को किस काम की ट्रेनिंग दी गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोओपरेटिव की।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनको कलेक्टर बनाने के पूर्व वे रजिस्ट्रार सहकारी विभाग थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—जिस हालत में सरकार ने उन्हें सहकारी विभाग की ट्रेनिंग दिलाई फिर उनको सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार से कलेक्टर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्योंकि वे आई. ए. एस. में सिलेक्ट हो गये थे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ट्रेनिंग के बाद में हुए या पहले ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बाद में।

श्री चांदमल मेहता—कब हुआ सिलेक्शन ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे ठीक तो याद नहीं, मेरा ख्याल है ५४ में हुआ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या रजिस्ट्रार सहकारी विभाग आई. ए. एस. नहीं रखा जा सकता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, पोस्ट आई. ए. एस. की नहीं थी।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या अब वह बना दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, अभी तक बनाई तो नहीं गई है, विचार किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—उनको एक खास विषय की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, उस काम पर न रखा जाकर कलेक्टर बनाया गया इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एडमिनिस्ट्रेटिव।

श्री चांदमल मेहता—क्या किसी नये अधिकारी को इसकी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२४

तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट का प्रकाशन

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी की रिवाइज्ड लिस्ट सरकार के पास कब पेश की गई?

(ख) उक्त लिस्ट को अभी तक प्रकाशित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) ११-१२-५४ को व २६-१२-५४ को।

(ख) शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—जब कि ११। १२। ५४ और २६।१२।५४ को यह लिस्ट सरकार के पास पेश हो गई तो सीनियोरिटी लिस्ट को अब तक पेंडिंग रखने के क्या कारण हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें ऐसा है कि सैकड़ों रिप्रेजेन्टेशन्स थे और कई दूसरी बातें थीं। उन पर चेयरमेन रेवेन्यु बोर्ड ने फैसला लिया, इस पर विचार करके निर्णय किया गया, अब जल्दी ही प्रकाशित होगी।

श्री विशम्भर नाथ जोशी—लिस्ट के शाया होने के पहले ही रिप्रेजेन्टेशन्स आ गये, तो क्या पहले इन्फोर्मेशन लीक आउट हो गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं, ऐसी बात नहीं है। चेअरमेन, रेवेन्यु बोर्ड के पास से रिप्रेजेन्टेशन सरकार के पास आये थे। उन पर विचार किया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रिप्रेजेन्टेशन सुनने के लिये रेवेन्यू बोर्ड को सर्व अधिकार दिया गया था?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड के फैसले की इतिला के बाद यह रिप्रेजेन्टेशन हुए?

Page No.4

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—तो ये रिप्रेजेन्टेशन किस आधार पर हुए?

श्री दामोदरलाल व्यास—प्रोवीज़नल सीनियोरिटी लिस्ट पब्लिश हुई उसके आधार पर।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस पर ओब्जेक्शन्स आये और उस पर रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी तजवीज भेजी?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बिल्कुल सही है।

श्री चांदमल मेहता—जब राजस्व बोर्ड ने इस पर फैसला कर दिया तो फिर किस आधार पर सरकार ने इसको पेंडिंग रखा?

श्री दामोदरलाल व्यास—कुछ और रिप्रेजेन्टेशन्स आये थे।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या वे रिप्रेजेन्टेशन्स भी रेवेन्यू बोर्ड के पास भेज दिये गये थे?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार ने बाद में उन पर विचार किया था।

श्री चांदमल मेहता—जब रिप्रेजेन्टेशन्स सुनने का अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को है तो फिर सरकार ने उनके फैसले के बाद भी पेंडिंग क्यों रखे?

श्री दामोदरलाल व्यास—रिप्रेजेन्टेशन्स सुनने का अधिकार बोर्ड को है, मगर उन पर फाइनल लिस्ट को एप्रूव करने का अधिकार सरकार का था।

श्री एच० के० व्यास—कौन कौन से रिप्रेजेन्टेशन्स सरकार ने अपने पास रखे और कौन कौन से रेवेन्यू बोर्ड के पास भेजे गये व सरकार को उनको रेवेन्यू बोर्ड के पास भेजने में क्या आपत्ति थी?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिनको ऊंचे ग्रेड में रखना सरकार चाहती है उनको कार्यवाहक तहसीलदार का मौका दिया गया है और इसीलिये यह लिस्ट अभी तक पेंडिंग रखी गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं, यह गलत बात है।

श्री चांदमल मेहता—तो सही बात क्या है, आप बता दें?

Page No.5

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं बता चुका हूं।

श्री चांदमल मेहता—अब कब तक हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी।

श्री वेदपाल त्यागी—रिप्रेजेन्टेशन्स आपके पास आये, उनकी संख्या क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सैंकड़ों हैं।

श्री बी० एन० जोशी—क्या इनको एन्टरटेन करने के लिये रेगुलेशन्स भी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, नियम के अनुसार।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री प्रभुदयाल।

प्रश्न संख्या १२५

राजगढ़ तारानगर तहसीलों के हरिजन परिवारों के मकान गिरने पर शासकीय सहायता

श्री प्रभुदयाल—क्या हरिजन उत्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजगढ़, तारानगर तहसील (जिला चुरू) के कितने हरिजन परिवारों के मकानों के गिरने की शिकायतें सरकार के पास आई हैं ?

(ख) अब तक कितने परिवारों को सहायता दी गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि काफी हरिजन परिवारों को अब तक सहायता नहीं मिली है ?

(घ) यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**— (क) राजगढ़ तहसील में ८ हरिजन परिवारों के मकान गिरने की दरख्वास्तें पेश हुई हैं। तारानगर तहसील में किसी हरिजन परिवार के मकान गिरने की दरख्वास्त पेश नहीं हुई बल्कि पटवारी से लिस्ट तलब की गई थी जिससे ६४ हरिजनों के मकान मामूली गिरने पाये गये हैं।

(ख) राजगढ़ व तारानगर तहसीलों में अब तक ३१ परिवारों को सहायता दी गई है। तहसील तारानगर में कमेटी की राय से सहायता दी गई है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) राजगढ़ तहसील के कुछ हरिजन परिवारों को सहायता नहीं मिली है क्योंकि कुछ समय पहले अधिकारी, पिछड़ी जाति कल्याण विभाग, बीकानेर–राजगढ़ आये थे वे लिस्ट बना कर ले गये थे। इस सिलसिले में ३०३१) रु० महकमा संचालक पिछड़ी जाति कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत हो चुका है। दफ्तर हाजा से अधिकारी पिछड़ी जाति कल्याण कार्यालय बीकानेर को शीघ्रातिशीघ्र बांटने का आदेश दिया जा चुका है। सहायता दिये जाने की कार्यवाही चालू है। तहसील तारानगर में, जिनको मेम्बर सहायता कमेटी तारानगर ने इमदाद दी जानी उचित समझी उनमें कोई बाकी नहीं है।

(घ) तारानगर में सहायता मिलने में देरी नहीं की गई। अलबत्ता राजगढ़ में तहसील में सहायता देने में देरी हुई है, जिसके कारण (ग) में दर्ज कर दिये गये हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या हरिजनों के अलावा भी दूसरे लोगों के मकान गिरने पर उनको सहायता दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंडया—उनको भी सहायता दी गई है।

श्री प्रभुदयाल—सरकार ने यह बताया है कि तारानगर तहसील में किसी हरिजन परिवार के मकान गिरने की दरख्वास्त पेश नहीं हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १५० मकान गिरे हैं। क्या सरकार इसकी दुबारा जांच कराने के लिए तैयार है ?

श्री भोगीलाल पंडया—नहीं, सरकार ने ३१ परिवारों की सहायता दी है। इसके लिए जो कमेटी मुकर्रर की गई थी उस कमेटी ने जो ठीक समझा उनको सहायता दी गई।

श्री प्रभुदयाल—अधिकारी पिछड़ी जाति कल्याण विभाग जब वहां पधारे थे, उनको बताया गया था ?

श्री भोगीलाल पंडया—मैंने उत्तर दिया कि उनकी सिफारिश के अनुसार ३०३१ रुपये उनको सहायता के लिए मन्जूर किये गये और शायद अब उनको मिल भी गये होंगे।

श्री प्रभुदयाल—आपने यह तो राजगढ़ के लिए बताया, तारानगर के लिए कितनी सहायता दी गई ?

श्री भोगीलाल पंडया—सहायता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार रकम दी गई है।

श्री प्रभुदयाल—तारानगर में १४० मकान गिरे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनको...

—

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या-१२६

वर्तमान वर्ष में एस. डी. ओ. बनाये गये आर. ए. एस. अधिकारी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) चालू वर्ष में किन किन आर. ए. एस. कर्मचारियों को एस. डी. ओ. बनाया गया ?

(ख) उक्त कर्मचारियों का आर. ए. एस. की सीनियोरिटी लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है व प्रत्येक की योग्यता व लेन्थ ऑफ सर्विस कितनी है ?

(ग) ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्हें उक्त कर्मचारियों से अधिक सीनियर होते हुए भी सीनियोरिटी के आधार पर एस. डी. ओ. नहीं बनाया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—(क) जिन आई. ए. एस. अधिकारियों को चालू साल में एस. डी. ओ. बनाया गया उनकी सूची (अ) सदन की मेज पर रखी है ।

(ख) इन अधिकारियों का सीनियोरिटी लिस्ट में स्थान व प्रत्येक की योग्यता व सेवाकाल (लेन्थ ऑफ सर्विस) उक्त सूची में प्रत्येक के नाम के आगे दिखाया गया है ।

(ग) एस. डी. ओ. की नियुक्ति केवल सिनियोरिटी के आधार पर नहीं होती किन्तु सीनियोरिटी, योग्यता व अनुभव के आधार पर होती है । उन अधिकारियों की सूची (ब), जिन्हें केवल सीनियोरिटी के आधार पर एस. डी. ओ. नहीं बनाया गया, सदन की मेज पर रखी है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जो सूची मेज पर रखी गई है उसकी प्रतिलिपि मुझे प्राप्त नहीं हुई है । अगर वह मिल जावे तो ज्यादा अच्छा होगा । जैसा कि यहां कई बार सदन में तय किया गया है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सूची मिल जानी चाहिये, मगर फिर भी नहीं मिल रही है.... ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इनके पास मौजूद है ।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं यहां से बाहर गया था तब पीछे से रख दी । मैंने दफ्तर में दर्याफ्त किया, मगर वहां से भी मुझे नहीं मिली ।

Page No.8

श्री अध्यक्ष—हमारे यहां पर भी यह (उत्तर) नहीं आया।

श्री चांदमल मेहता—जब आर. ए. एस. की सीनियोरीटी तय की गई थी उस समय क्या योग्यता और अनुभव का ध्यान रखा गया था ?

श्री अध्यक्ष—यही बताया है।

श्री चांदमल मेहता—आपने बताया कि एस. डी. ओ. बनाये उस समय अनुभव, योग्यता आदि देखा जाता है। क्या सीनियोरिटी लिस्ट बनाते वक्त इन सारी बातों का ख्याल नहीं किया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सीनियोरिटी के अलावा अनुभव और योग्यता का आधार होता है। इसके अलावा एस. डी. ओ. एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट और दूसरे विभागों के कई अधिकारी एक ही केटेगरी के होते हैं जिससे उनको किसी भी स्थान पर नियुक्त करने पर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता, अगर कोई दूसरी जगह पर काम करता है तो भले ही करे।

श्री चांदमल मेहता—एस. डी. ओ. बनाये, इसके लिए जो क्राटेइरिया मुकर्रर है उसका गजट में पब्लिकेशन नहीं किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. के लिये कोई रूल्स नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एस. डी. ओ. और एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट, एसिस्टेन्ट कस्टम कमीशनर आदि जो आर. ए. एस. के केडर के हैं उनके वेतन में कोई अन्तर नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—अधिकारों में फर्क पड़ता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक के नीचे दूसरा नहीं होता। एस. डी. ओ. के नीचे तहसीलदार ही होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट या एसिस्टेन्ट कलेक्टर एस. डी. ओ. के मातहत होते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने पहले कहा कि ..

श्री चांदमल मेहता—इसके लिये कोई निश्चित क्राटेरिया मुकर्रर नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—बता तो दिया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. बनाते वक्त सरकार द्वारा आवेदन-पत्र मांगे गये थे ?

प्रश्न संख्या १२७

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १२८

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर अभी मेरे पास नहीं है, आयन्दा तारीख पर दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हनुवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या १२९

जिला जैसलमेर की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों का प्रबन्ध

श्री हनवन्तसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जिला जैसलमेर में ऐसे कितने प्राइमरी स्कूल हैं जहां अर्से तक अध्यापक नियुक्त नहीं किये गये हैं ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप मन्त्राणी)—ऐसा कोई स्कूल नहीं है।

श्री हनवन्तसिंह—क्या दांगड़ी गांव में किसी स्कूल में मास्टर मौजूद है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मौजूद होगा, छुट्टी चला गया होगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—स्कूल का मकान तो मौजूद है ?

(हंसी)

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—स्कूल भी है, मकान भी है, टीचर भी नियुक्त किया हुआ है। जब वे वहां गये होंगे तो किसी कारण से नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कौनसी तारीख को वह गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कौन से टीचर से मतलब है ?

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर मन्त्राणीजी जांच कराना चाहें तो मैं बताऊं कि जैसलमेर जिले की अधिकांश स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—इसका जवाब दे दिया गया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—प्रश्नकर्ता को जवाब से सन्तोष नहीं हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—आपको नहीं हुआ होगा।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय। वह अध्यापक कब से गया ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—किस अध्यापक से मतलब है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—दांगड़ी गांव में किस तारीख को अध्यापक छुट्टी गया ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—यह अलग प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी अभी कहा गया था कि अभी मौजूद हैं, छुट्टी चला गया था। तो यह इसी प्रश्न का भाग है कि अगर वह छुट्टी गया तो कब गया ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मैंने जवाब दिया था कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है। आपने कहा कि ऐसा कोई स्कूल है तो मैंने कहा था कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।

श्री हरीकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया; आया जो भी चला गया। स्कूल है, नहीं भी है। छुट्टी चला गया, या नहीं गया।

(हंसी)

Page No.11

श्री अध्यक्ष—Mr. Vyas, it is folly to be wise where ignorance is bliss. Shri Bhopal Singh.

प्रश्न संख्या १३०

मारवाड़ में पट्टासुद मकानों व थालों को पुनः बेचने पर शासकीय दसोती फीस

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मारवाड़ में मकानात या थाले, जो पट्टाशुदा हैं, वापिस बेचने पर सरकार दसोती की फीस फिर से वसूल करती है ?

(ख) क्या यह फीस राजस्थान के दूसरे भागों में भी ली जाती है ?

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस कायदे को वहां पर भी बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां, मारवाड़ पट्टा एक्ट के तहत यह वसूली होती है।

(ख) जी नहीं, इस शक्ल में और कहीं नहीं होती है। सरकारी जमीन बिकने पर कहीं २ नजूल के महकमे से यह दिये जाते हैं। उन पर नजूल की फीस वसूल होती है और वह भी कहीं कहीं होती है।

(ग) यह विचाराधीन है।

श्री भोपालसिंह—कब तक सरकार दूसरा कानून बनाने की कोशिश कर रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास—लैंड रेवेन्यू बिल सदन के समक्ष है और उसके पारित होते ही यह रद्द हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १३१

किशनगढ़ के उस व्यक्ति को पारितोषिक जिसने युरेनियम धातु का पता चलाया

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन में किसी व्यक्ति द्वारा यूरेनियम धातु का पता लगाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो किस व्यक्ति ने किस ग्राम में उक्त धातु का पता चलाया ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त धातु का पता चलाने वाले के लिये भारत सरकार ने इनाम की घोषणा की है ?

(घ) राजस्थान के किन किन व्यक्तियों का नाम उक्त धातु का पता चलाने के परिणाम स्वरूप इनाम प्राप्त करने वालों की सूची में दर्ज किया गया है ?

(ङ) राजस्थान सरकार ने भी क्या उक्त व्यक्तियों को कोई पारितोषिक दिया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री)--(क) एक व्यक्ति ने कई अन्य खनिजों के साथ यूरेनियम मिश्रित खनिज के लिए, एक पट्टे के लिये आवेदन-पत्र दिया है किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति ने यूरेनियम खोज निकाला है अथवा नहीं।

(ख) व्यक्ति का नाम श्री रतनलाल कामदार है। स्थान का नाम राजरंग बेरियल खान बान्दरसींदरी है।

(ग) हां।

(घ) किसी का भी नहीं।

(ङ) नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिवीजन में यूरेनियम धातु की डिस्कवरी कर भारत सरकार को सूचना दी गई और उसकी जांच करने के लिए भारत सरकार के पदाधिकारी मि. वाडिया किशनगढ़ सब डिवीजन में आये थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां

श्री चांदमल मेहता—तो किस व्यक्ति ने डिस्कवरी की, जिसके आधार पर भारत सरकार ने जांच करने के लिए उनको भेजा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र आया तो उसको सेन्टर में भेज दिया गया था और वहां से जांच के लिए आये थे।

Page No.13

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किसी राज्य कर्मचारी ने इस यूरेनियम धात, का पता चलाया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—भारत सरकार से जो एक्सपर्ट आये उन्होंने क्या जानकारी दी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस धातु पर ज्यादा चर्चा न हो तो अच्छा है ।

(घंटी)

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं भी यही कहने वाला था ।

श्री चांदमल मेहता—जिस व्यक्ति ने जांच की उसका नाम क्या उस लिस्ट में निकला है जिसको भारत सरकार ने पारितोषिक देना तय किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं नहीं जानता ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३२

गंगापुर से लालसोट पर लगे माइल स्टोन्स का ठेका

श्री रीद्धचंद पालीवाल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगापुर से लालसोट रोड पर माइल स्टोन कब लगे हैं और कितने रुपये में इसका ठेका दिया गया था ?

(ख) क्या उक्त माइल स्टोन नियमानुसार लगे हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करने को तैयार है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—गंगापुर सड़क पर माइल स्टोन लगाने का ठेका टेन्डर द्वारा अगस्त सन् १९५४ में दिया गया था जिसका अनुमानित व्यय २७६५) रु. था । यह काम स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक नहीं हुआ था, लफ्ज पेन्ट किये गये हैं और रनिंग बिल पर १५२२) रुपया अभी तक दिया गया है । चूंकि काम नियमानुसार नहीं हुआ था रिजेक्टेड सामान बदलने की आज्ञा भी दे दी गई थी और इसीलिए पेमेन्ट रोका गया ।

[श्री शाह अलीमुद्दीन]

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—हंसराज जटिया ।

प्रश्न संख्या १३३

तहसील धोलपुर में कानूनगो अथवा पटवारी द्वारा किये गये गबन पर शासकीय कार्यवाही

श्री **हंसराज जटिया**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील धोलपुर में किसी कानूनगो व पटवारी ने गबन किया है ?

(ख) अगर यह सच है तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—(राजस्व मंत्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १३४

जनवरी १९५५ के पश्चात् राजस्थान में खोले गये वेलफेयर सेन्टर्स-विशेषतया किशनगढ़ में

श्री **चांदमल मेहता**—क्या मंत्री, पिछड़ी जाति मंगलकारी विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में १ जनवरी, १९५५ के बाद कहां कहां संस्कार केन्द्र (welfare centre) खोलने की स्वीकृति दी गई है ?

(ख) ऐसे कौन २ से स्थान हैं जहां संस्कार केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी जाने पर भी नहीं खोले है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) क्या किशनगढ़ में भी कोई संस्कार केन्द्र खोलने की योजना है ?

(घ) यदि हां तो कब तक ?

श्री भोगीलाल पंड्या (मंत्री समाज कल्याण विभाग)—(क) राजस्थान में १ जनवरी, सन् १६५५ के बाद संस्कार केन्द्र इन इन स्थानों पर खोलने की स्वीकृत हुई है :

डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ, भीलवाड़ा, राजसमन्द (उदयपुर डिस्ट्रिक्ट), उदयपुर, जालौर, बाडमेर, नागौर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, धोलपुर, चुरु, गंगानगर, बीकानेर, टोंक, सीकर, झुंझुनू, किशनगढ़, तिजारा, राजगढ, दौसा (जयपुर), जयपुर (प्रोपर), जयपुर, अलवर, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, (सवाई माधोपुर), डीग (भरतपुर), धौलपुर (भरतपुर) भरतपुर, कोटा।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ग) हां, किशनगढ़ में भी संस्कार केन्द्र खोलने की योजना थी। किशनगढ में संस्कार केन्द्र खुल गया है।

(घ) किशनगढ़ में संस्कार केन्द्र खुल गया है।

श्री चांदमल मेहता—यह संस्कार केन्द्र कौन सी तारीख को खोला है ?

श्री अध्यक्ष—अब खोल दिया है ती इसकी जल्दी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—कागजों में खुल गया होगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपके जानकारी गलत है कि नहीं खोला गया है। पहले मकान नहीं मिला था इसलिए नहीं खुला था, लेकिन मकान मिलने के बाद खोल दिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—कौनसी तारीख को खोला गया है, कौन से मकान में खोला गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख भी मालूम करके बता दूंगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—'वेलफेयर' की हिन्दी 'संस्कार' की गई, 'वेलफेयर' के हिन्दी माने तो दूसरे होते हैं..........

Page No.16

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कल्याण से मतलब है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हां।

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचंद।

प्रश्न संख्या १३५

गंगापुर तहसील को विकास खंड या प्रोजेक्ट में लेना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगापुर तहसील को डेवलपमेंट ब्लॉक या प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं लेने का क्या कारण है ?

(ख) अब यह कब तक हो जायगा ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(क) सभी स्थानों पर एक ही विकास खंड नहीं खोला जा सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य का सम्पूर्ण भाग राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड योजना में आ जावेगा।

(ख) गंगापुर तहसील में भी विकास खंड खोल दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३६

कोटा शहर के समीप के वर्तमान चम्बल पुल को ऊंचा करने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री राज हिम्मतसिंह—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state:-

(a) Is the Government contemplating to raise the existing Chambal bridge near Kotah City above the flood level ?

(b) If so, when ?

(c) If not, why not ?

Page No.17

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग)—

(a) There is no proposal under consideration of Government to raise the Chambal Barrage near Kotah City.

(b) Question does not arise.

श्री अध्यक्ष—And "(c)," Why not ?

श्री जसवन्तसिंह—What about (c) ?

श्री शाह अलिमुद्दीन—Both the questions.......

श्री हिम्मतसिंह—There must be reason about it.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Lack of finance.

श्री हिम्मतसिंह—Then say so, please.

प्रश्न संख्या १३७

फतहनगर (जि० उदयपुर) की जनता द्वारा हाई स्कूल हेतु साठ हजार रुपये के भवन निर्माण के पश्चात् भी उसमें पर्याप्त फरनीचर न होना

श्री जगतसिंह झाला—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला उदयपुर में फतहनगर की जनता ने करीब ६०,००० रु० की लागत का मकान बना कर हाई स्कूल के लिये शिक्षा को भेंट किया है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में अभी तक लड़कों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है ?

(ग) क्या सरकार इसी साल समुचित व्यवस्था करने का विचार करती है ?

श्रीमति कमलाकुमारी बेनीवाल—(उपमंत्राणी) : (क) जी हां।

(ख) फर्नीचर की व्यवस्था की है, यद्यपि वह पर्याप्त नहीं है। कक्षा ६, ७ व ८ दरी पर बैठती है और ६ और १० कक्षायें कुर्सी पर बैठती हैं।

(ग) यथासंभव व्यवस्था की जा रही है।

श्री जगतसिंह् झाला—कब तक कर दी जायगी ?

श्रीमति कमलाकुमारी बेनीवाल—शीघ्रातिशीघ्र ।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १३८

श्री अध्यक्ष—श्री लालबहादुर ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हंसराज जटिया ।

प्रश्न संख्या १३६

करौली से सरमथरा मार्ग के कार्य की समाप्ति

श्री हंसराज जटिया—क्या सार्वजनिक निमार्ण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) क्या करौली से समथरा मार्ग पर कोई काम हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो कितना काम हो चुका है तथा कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री शाह् अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) हां ।

(ख) १८ मील तामीर हो रही है जिसमें से करौली के हल्के में ८॥ मील बन चुकी है, बकाया ७॥ मील भरतपुर जिले में है जिसका टेन्डर मांगा गया है । काम जल्दी शुरु हो जायगा ?

कुल काम ५६—५७ के प्लान के मुताबिक शुरु हो जायगा ।

श्री हंसराज जटिया—क्या यह मेटल्ड रोड बनाई जायगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जी नहीं, फिलहाल मेटल्ड रोड का सवाल ही नहीं है फेअर वेदर रोड होगी ।

श्री हंसराज जटिया—बीच में से जो भाग टूटा हुआ है, क्या वह भी ठीक किया जायेगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—बीच में कहीं टूटी नहीं, साढ़े सात मील का टेन्डर और मांग लिया है ।

श्री हंसराज जटिया—सरमथरा से जो करौली मार्ग जाता है उसके बीच साढ़े सात मील का टुकड़ा है जो टूटा हुआ है ।

श्री शाह अलीमुद्दीन—करौली से सरमथरा जाने वाली जो सड़क है वह १०॥ मील तो बन चुकी है, साढ़े सात मील जो बाकी है उसके लिये टेन्डर मांग लिया गया; इस तरह से पहले टेन्डर का तो काम पूरा हुआ, दूसरा टेन्डर भी आगया वह भी शुरु हो जायेगा ।

प्रश्न संख्या १४०

बीकानेर शहर के डाक बंगले के चौकीदार व फर्राश के लिये वर्दी का प्रबन्ध

श्री प्रभुदयाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) बीकानेर शहर के डाक बंगले में कितने चौकीदार और फर्राश हैं ?

(ख) क्या राजस्थान में सब डाक बंगलों के फर्राशों को वर्दी मिलती है ? यदि हां, तो उन्हें क्यों नहीं दी गई है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—(क) बीकानेर शहर के डाक बंगले में एक चौकीदार व एक फर्राश कम पानी वाला है ।

(ख) डाक बंगले के फर्राशों को वर्दी नहीं मिलती है ।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से खासा कोठी और सर्किट हाउस के चपरासियों और चौकीदारों को वर्दी दी जाती है तो फिर यहां क्यों नहीं दी जाती ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—कुछ डाक बंगले ऐसे हैं जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हैं और कुछ डाक बंगले हैं जो दूसरे दूसरे विभागों के हैं जैसे इरीगेशन के मुतल्लिक । पी.डब्लू.डी. डिपार्टमेंट हर एक की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं ।

श्री प्रभुदयाल—वह भी सरकारी डाक बंगला है तो वहां के लिये दूसरी व्यवस्था क्यों ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह उस डिपार्टमेंट से पूछिये ।

प्रश्न संख्या १४१

राजस्थान में संस्कृत की उन्नति हेतु शासकीय योजना

श्री अंगदराम शास्त्री—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार संस्कृत की उन्नति के लिये क्या योजना बना रही है ?

(ख) क्या शिक्षा विभाग की नई योजना में निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें व सहायक उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं राजस्थान के दोनों पद हटा दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसमें संस्कृत का क्या हित सोचा गया है ?

(ग) क्या शिक्षा विभाग के अध्यापकों का फिक्सेशन हो गया है ? यदि हां तो संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के फिक्सेशन अभी तक क्यों नहीं किये गये ?

(घ) क्या राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन कोटा अधिवेशन ने उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें राजस्थान के पदों को न तोड़ने के लिए प्रस्ताव पास करके कोई तार भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमति कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) संस्कृत छठी से आठवीं कक्षा तक अनिवार्य कर दी गई है और जितने संस्कृत कॉलेज हैं उनको विश्वविद्यालय से एफीलियेटेड करा दिया गया है और इनकी परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा हुआ करेंगी। इसके अतिरिक्त हाल ही में सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो संस्कृत की शिक्षा की प्रगति के लिए सिफारिश करेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, सभी का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं।

श्री खेतसिंह—आपने (क) भाग का उत्तर क्या दिया ? इसमें लिखा है कि संस्कृत की उन्नति के लिये, कल्चर (Culture) की उन्नति के लिये क्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष—यह मिसप्रिन्ट है।

प्रश्न संख्या १४२

तहसील कुशलगढ़ के राव साहब द्वारा सारवाडी ग्राम के आदिवासी कृषकों के पट्टेदारी अधिकार छीनना

श्री दामोदरलाल व्यास—इस सवाल का उत्तर नहीं आया है। कलेक्टर के यहां से जवाब नहीं आ सका है। पहले जिस प्रश्न के लिये कहा था जवाब नहीं आया वह अब आगया है मैं उसका जवाब दे सकता हूँ।

Page No.21

श्री अध्यक्ष—Let us finish this.

श्री हरिराम—इसका जवाब एक वर्ष हुआ अभी तक नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—अभी मंगा देते हैं।

श्री धूलजी भाई—इसका जवाब कब तक आ जायगा ?

श्री अध्यक्ष—अब जल्दी से जल्दी आ जायगा। नेक्स्ट टर्न पर इसको फिर रख देंगे।

प्रश्न संख्या १४३

तहसील नाथद्वारा में सन् १९५२ से जुलाई १९५५ तक खोली गई प्राथमिक पाठशालायें

श्री शिवदानसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे:

श्री नाथद्वारा तहसील में सन् ५२-५३-५४-५५ को जुलाई तक कुल कितनी नई प्राइमरी पाठशालायें खोली गई हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी, शिक्षा विभाग)—कुल १५ प्राइमरी पाठशालायें खोली गई हैं।

प्रश्न संख्या १४४

जिला बांसवाड़ा के ऐतिहासिक एवं धार्मिक मन्दिरों के जनोपयोगी आश्रय स्थानों को भूतपूर्व श्री महारावल द्वारा बेचना

श्री धूलजी भाई—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या जिला बांसवाड़ा के ऐतिहासिक एवं धार्मिक मन्दिरों के जन-उपयोगी आश्रय स्थानों को भूतपूर्व श्री महारावल सा० द्वारा तोड़ फोड़कर बेच दिया गया है ? यदि हां, तो वे कहां कहां और कौन कौन से स्थान हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि इस प्रकार के अन्य मकान व भवन अब भी गिराये जा रहे हैं और उनमें परिवर्तन किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

श्री धूलजी भाई—क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात की जांच कराने के लिये तैयार हैं कि ऐसे सार्वजनिक स्थान और धार्मिक स्थान हैं जिनको तोड़ फोड़कर बेच दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हमारी जानकारी में ऐसी बात नहीं है । ऐसी जानकारी आप देंगे तो जांच की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२८

सन १९५०—५१ के आय-व्ययक में देवस्थान विभाग के अन्तर्गत किशनगढ़ सब डिविजन के व्यक्तियों व मन्दिरों को स्वीकृत धन-राशि

श्री **चांदमल मेहता**—क्या मन्त्री देवस्थान विभाग निम्न प्रश्न का उतर देने की कृप करेंगे :

(क) सन् १९५०—५१ के बजट में किशनगढ़ सब डिविजन में भिन्न भिन्न व्यक्तियों व मंदिरों को दिये जाने के लिये देवस्थान विभाग के बजट में कुल कितने रुपये स्वीकृत थे ?

(ख)१९५० के बाद किस किस वर्ष में किन किन व्यक्तियों के कितने कितने रुपये देवस्थान विभाग द्वारा दिये जाने बन्द किये गये ?

(ग)उक्त रकम के बन्द किये जाने के क्या क्या कारण हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास— (क) सन् १९५० ५१ के बजट में किशनगढ़ सब डिविजन में मन्दिरों के लिये देवस्थान के बजट में २३६५७ रू० की स्वीकृति थी ।

(ख) सन् १९५० में जितना रुपया देवस्थान विभाग द्वारा दिया जाना बन्द किया गया वह इस प्रकार है :

सन्	१९५१	१९५३	तथा	१९५५ रमक बन्द हुई है
	१६१≶)।।।	१५६≶।।।)		११=)।।

(ग) उक्त रकम के बन्द किये जाने के कारण भी उक्त सूची में मौजूद हैं ।
(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—बजट में दर्ज नहीं करने की गलती किसकी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बजट के अन्दर पहले से दर्ज नहीं था, अनावश्यक समझा गया इसलिये बन्द कर दी गई ।

श्री चांदमल मेहता—जब ५१ तक बराबर मिलता रहा है, बाद में अनावश्यक समझे जाने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस प्रकार के खर्चे पन्डों को रुपया देना आदि सरकार ने आवश्यक नहीं समझा इसलिये बन्द कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने ये रुपये बन्द करने के पहले किसी प्रकार की जांच करवाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आवश्यकता मुताबिक जांच करा ली गई थी।

श्री चांदमल मेहता—जांच नहीं की गई बल्कि बजट में नकल उतारते वक्त भूल से रह गई थी यह रकम इसलिये बन्द कर दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर माननीय सदस्य किसी खास व्यक्ति का नाम बतावें तो मैं कह सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—जो रूपनगर के आपने पांच नाम बताये; जैसे श्री नारायणजी, आदि। इस सदन में इस बारे में एक बार कटमोशन भी रखा था, प्रश्न भी पूछा गया था और उस बारे में यह कहा गया था कि बजट में लिखने से यह रह गई थी रकम इसलिये नहीं दी गई। अब दे दी जायगी। आज आप कह रहे हैं कि उसे अनावश्यक समझा गया इसलिये बन्द कर दिया गया किस चीज को सही माना जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि नम्बर १ से ७ तक जो नाम बताये गये हैं उनको दिनांक ८.१२.५५ की आज्ञा के अन्तर्गत अनावश्यक समझा गया इसलिये बन्द कर दिया गया। और ७ से १४ तक जो नाम बताये गये हैं तहसील रूपनगर के, वह देवस्थान के बजट में दर्ज नहीं मिले इसलिये देवस्थान विभाग की विज्ञप्ति दिनांक ३०.११.५५ को बन्द कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया, बजट में दर्ज नहीं थे और इस खर्च को अनावश्यक समझा गया इसलिये बन्द कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—आवश्यक और अनावश्यक खर्चा समझने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सरकार के डिस्क्रीशन पर है कि कौनसा खर्च आवश्यक है और कौनसा अनावश्यक।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो बन्द किये गये, तो क्या दूसरे पन्डों को देने का निर्णय किया गया क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—जो यह रकम बन्द की गई और जिन लोगों की बन्द की गई उनकी बात सुनने को और बन्द करने की सूचना उनको नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से पूछिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या ये रकमें किशनगढ़ के पन्डों की ही बन्द की गईं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कई जगह बन्द की गईं, बीकानेर में भी बहुत ज्यादा है इनकी संख्या।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि बजट में नकल उतारने में गलती रहने की वजह से बन्द की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अवश्य जांच कराई जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या जब ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में एक साल पहले यह आश्वासन दिया गया था कि इसकी जांच कराई जायगी, तो क्या अब तक जांच नहीं कराई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—We are setting up an Assurance Committee.

प्रश्न संख्या १३८

श्री लालबहादुर।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या १४२।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका जवाब नहीं आया, नेक्स्ट टर्न पर जवाब दे दिया जायगा।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४.
(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Further clause by clause consideration of the Rajasthan Land Revenue Bill, 1954. Clause 214

(विराम)

Yes, amendment to be moved by Shri Himmat Singh (Atru); list no. 11, Serial No. 259.

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१४ का हेडिंग इस प्रकार है; "Settlement of land added by alluvion and revision of assessment when culturable area reduced by fluvial action;" पर मैंने अपना संशोधन इस आशय से रखा है कि (एक) और (दो) दोनों सब क्लाज़ों को एक साथ कर दिया जावे। एक ही पेराग्राफ में ले लिया जावे तो ज्यादा उपयुक्त होगा और कुछ शब्दों की भी बचत हो जावेगी।

श्री दामोदर लाल व्यास—आवाज नहीं आ रही है, माइक में बोलिये साहब।

श्री अध्यक्ष—With a little attention everything can be all right.

श्री हिम्मतसिंह—मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है " Substitute sub-clauses (1) and (2) Of this clause by the following:-

" Land added by alluvion to a holding or a culturable area of any holding diminished by fluvial action or otherwise, may be re-assessed in accordance with rules made under this Act " यह बहुत ही सरल सा एमेंडमेंट है। जो दो अलग अलग से पैराग्राफ रक्खे गये हैं वे एक ही में कर दिये जावें। इनके सारे आशय को एक ही पैराग्राफ कवर कर लेता है और मतलब भी पूरा निकल जाता है। इसलिये ये दो पैराग्राफ न करके अगर एक ही में ले लिया जावे तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजस्व मंत्री से) Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है और कोई खास नई बात इस अमेंडमेंट में इन्सर्ट नहीं की गई है। जो मौजूदा लैंग्वेज है वही ठीक है, अलग की

Page No.26

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये एक क्लॉज़ में तीन क्लॉज़ आ जावें तो मेरे ख्याल से यही टीक रहेगा और चेन्ज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो लैंग्वेज़ आपने सजेस्ट की है उसका भी सैंस एक ही है। पर अलग अलग रखने से ज्यादा मतलब साफ रहेगा।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को मेरा अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है। उनको जब यह स्वीकार नहीं कि कोई बैटर सेन्टेन्स रक्खा जावे, तो मैं इसको प्रेस भी नहीं करना चाहता।

श्री दामोदरलाल व्यास—आज मैं आपके बहुत से अमेंडमेंट्स स्वीकार करने वाला हूँ।

श्री अध्यक्ष—इसलिये विथड्रा कर रहे हैं ये।

(हंसी)

क्या सदन की यह आज्ञा है कि श्री हिम्मतसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१४ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २१५, श्री जवानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१५ विधेयक का अंग बने।

(श्री हरिकृष्ण व्यास के बोलने के लिए खड़े होने पर)

[श्री अध्यक्ष]

आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—अमेन्डमेन्ट तो कोई दिया नहीं आपने ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जी नहीं, इसी पर बोलना चाहता हूँ । बहुत मुद्दे की बात है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत दिनों के बाद बोल रहे हैं साहब, बहुत दिन हो गये हैं, बोले ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—I think the date has passed away.

श्री दामोदरलाल व्यास—He will have many things to say on other clauses.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २१५ की कोई आवश्यकता वैसे तो नहीं थी । जहां तक सही माने में अरबन एरियाज़ का प्रश्न है वह तो म्यूनिसिपैलिटी के तहत आ जाता है और चूंकि वह म्यूनिसिपैलिटी के तहत आ जाता है इसलिये वहां की जमीन के सम्बन्ध का कानून जो है वह बिना वजह का है। लेकिन किसी एरिया को अरबन एरिया डिक्लेअर कर देना और वहां पर यदि किसी काश्तकार के पास जमीन है या नहीं ली है उसने, तो उससे एडीशनल और रेन्ट लेना यह टीनेन्सी कानून की मन्शा के लगभग विरुद्ध हो जाता है । टीनेन्सी एक्ट में हमने पहले से यह दर्ज करके रक्खा है कि रेन्ट की जो लिमिट होगी वह अगर और इलाके में दो गुनी है रेन्ट कन्ट्रोल, तो अरबन एरियाज़ के लिए तीन गुना तक हो सकती है ।

अरबन एरियाज़ के नजदीक खेत आते हैं उसके लिए रेन्ट ही ज्यादा किया जा सकता है इसकी इजाजत, इसको पूरी तरह से या समझिये मौका, टीनेन्सी एक्ट में हमने दे रक्खा है ।

अब दुगुने से तिगुना टीनेन्सी एक्ट में कर दिया । कस्बे के नजदीक भी कोई काश्तकार पहुँचा और उसको फेसीलिटीज़ कितनी होती हैं, यह तो विवादास्पद प्रश्न है । कहा यह जाता है कि उसे ट्रान्सपोर्टेशन वगैरह की फेसीलिटीज़ होती हैं पर हकीकत यह है कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन दूसरे के मुकाबले में ज्यादा होता है । पर रियायत मिले या नहीं, रियायत के नाम पर लगान तो तीन गुना कर दिया । अब राजस्व मन्त्री महोदय दूसरे कानून के तहत में यह कहते हैं कि रेन्ट से भी ज्यादा उसे अरबन रेन्ट देनी पड़ेगी और अरबन एरिया आदि डिक्लेयर कर दिया गया है तो रेन्ट से तात्पर्य है तीन गुना रेवेन्यू और इसके बाद अरबन रेन्ट के रूप में तो ऐसे कई कस्बों में काश्त करने वाले आदमी क्या धान के एवज में कोई सोना उपजाते हैं कि उनसे जो चाहे लेने की गुंजाइश हो ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह बात दूसरी है कि कुछ विशेष क्षेत्र के लिए यह लागू किया जावे। यदि राज्य सरकार की मन्शा है कि जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र के अन्दर जो जमीन है उसके ऊपर स्पेशल अरबन रेन्ट लागू करने की इच्छा है तो इसे स्पेसिफाई करे। यह कहे कि लाख दो लाख कोया इससे अधिक की जहां आबादी है उस इलाके में यह लागू हो। पर ऐसा स्पेसिफाई भी नही किया गया। जनरल पॉवर दी गई है और इसमें गुंजाइश है कि वे जहां चाहें वहां, चाहे वह दस हजार का एरिया हो, बीस हजार का भी हो अरबन एरिया गिना जावेगा। इसमें काश्तकार के लिये एक तरफ अपने टीनेन्सी एक्ट में तीन गुना लगान देना पड़ेगा और दूसरी तरफ अरबन एक्ट के मातहत अरबन रेक्ट भी अलग से और देना पड़ेगा; तो यह कानून बनाना गैरवाजिब और अन्यायपूर्ण होगा। इसलिये मेरी राय है बल्कि मेरा सुझाव है कि इस धारा को हटा दिया जावे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और अगर बहुत ही आवश्यक आपको यह क्लॉज़ महसूस होता हो तो एक लाख या इससे ऊपर की आबादी को स्पेसिफाई करके इस क्लॉज़ को ठीक करके पास किया जावे, नहीं तो यह नुकसानदेह हो जावेगा और मामूली से किसान पर एक के बाद एक नया बोझा पड़ जावेगा। इस वजह से मैं इस क्लॉज़ की मुखालफत करता हूँ और प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि इसको पास नहीं किया जावे, इसे रद्द कर दिया जवे।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१५ के सम्बन्ध में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनका समर्थन करते हुए सदन से यह निवेदन करता हूँ कि इस क्लॉज़ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में हमने यह व्यवस्था की है कि जिस कस्बे की आबादी १५ हजार से ऊपर है उस कस्बे को अरबन एरिया समझा जावेगा और अरबन एरिया समझने के बाद जिस तरह से पूर्व वक्ता ने बताया उस जमीन का लगान एक गुना से दुगुना और बाद में तिगुना भी हो सकेगा और अब हम लैण्ड रेवेन्यू में जो क्लॉज़ २१५ पास कर रहे हैं उसके द्वारा दुगुने और तिगुने का प्रश्न नहीं, बल्कि सरकार को एक खुला अधिकार हम दे रहे हैं कि जिस आधार के मातहत सरकार जब चाहे उस एरिया को अरबन एरिया डिक्लेअर करके उससे लगान अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा दे।

माननीय अध्यक्ष, अरबन एरिया के पास वाली जमीन में जहां कोस्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है वहां यह बात भी सही है कि उस जमीन की पैदावार बढ़ती है और जमीन की पैदावार बढ़ने के साथ साथ यह किसी हद तक जरूरी होता है कि साधारण लगान से उस लगान की दर ऊंची करने की व्यवस्था कर दें। लेकिन दुबारा इस प्रकार की व्यवस्था इस कारण से करना कि जो कुछ हमने तिगुने लगान की व्यवस्था की है वह व्यवस्था अपर्याप्त है, इसलिए आवश्यक है कि जो कुछ हम चाहें, जितना सरकार चाहे, उतना लगान फिर दुबारा निर्धारित कर दें। मैं समझता हूं, यह बिल्कुल उचित चीज नहीं होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि

[श्री भैंरूसिंह]

आजकल जहां भी अरबन एरिया है उस जगह के काश्तकारों के अलावा दूसरे लोग उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, कब्जा उसी सूरत में हो सकेगा जब कि जो काश्तकार उस जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं, कई दिनों से करते आये हैं, उसका लगान देते आये हैं, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का बोझा डाला जाय, और वह बोझा उसी सूरत में आयेगा जब कि लगान ज्यादा कर दिया जाय। जिस वक्त काश्तकार यह सोचेगा कि अरबन एरिया में जमीन का लगान ज्यादा बढ़ गया है तो उसके सामने एक रास्ता होगा कि या तो वह ज्यादा लगान दे, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा लगान बढ़ रहा है उसको देना स्वीकार करे और अगर वह देना स्वीकार न करे तो जमीन छोड़कर चला जाय ताकि पास वाले जो कि राह तकते हुए होते हैं उस जमीन पर कब्जा कर लेंगें। तो इसके कारण जबरदस्त नुकसान होगा काश्तकारों को, क्योंकि जो कुछ पिछले समय में, जिस समय में यह अरबन एरिया में नहीं था, उन्होंने इम्प्रूवमेंट किये वह इस आशा के साथ इम्प्रूवमेंट किये कि जो कुछ आज हम इम्प्रूवमेन्ट्स कर रहे हैं तो उन इम्प्रूवमेंट के जरिये हमें बरसों तक लाभ मिलता रहेगा। लेकिन उनके सामने यह समस्या आये दिन रहेगी कि शहर ने तरक्की की, कहीं १५००० से १०० आदमी भी ज्यादा होंगे तो यह एरिया अरबन एरिया डिक्लेयर कर दिया जायगा, उसका लगान ज्यादा हो जायगा और उस लगान को देना स्वीकार नहीं करेंगे तो जो कुछ इम्प्रूवमेंट किये हैं उन इम्प्रूवमेंट्स का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोनों दिशा में यह काम करेगा। शहर की तरक्की होगी तो उस एरिया के आस-पास के एरिया को अरबन एरिया डिक्लेयर करेंगे तो कई काश्तकार कोशिश करेंगे कि वह अरबन एरिया डिक्लेयर न हो क्योंकि यदि वह अरबन एरिया हो गया तो लगान ज्यादा बढ़ेगा और उन्हें जमीन को छोड़ना पड़ेगा। तो एक तरफ जब हम अरबन इम्प्रूवमेन्ट की कोशिश करते हैं तो अरबन इम्प्रूवमेन्ट के साथ साथ ऐसी फेसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए कि काश्तकारों को यह विश्वास हो कि अरबन एरिया के साथ साथ इस व्यवस्था के साथ जो कुछ भी हम तरक्की करेंगे उस तरक्की का लाभ हमें मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह काश्तकारों के हित में अच्छी चीज नहीं होगी। अरबन इम्प्रूवमेंट हो, यह आज हमारी योजना है, लेकिन जब उसके आस पास वाले काश्तकारों के हित में कोई चीज नहीं होगी और उस योजना के मातहत कोई कार्यवाही करेंगे तो योजना में कई प्रकार की बाधायें आयेंगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, माननीय राजस्व मन्त्री से कि यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने सुझाव दिया था कि किन्हीं किन्हीं मुख्य मुख्य शहरों के, जैसे कि जयपुर आज भी अरबन एरिया है, उनके नाम निर्धारित कर दें न कि भविष्य के लिए यह अधिकार ले ले कि किसी भी क्षेत्र को अरबन एरिया घोषित करके लगान ज्यादा ले लें। इसलिए आवश्यक है कि इस धारा में जैसी व्यवस्था की जा रही है उस व्यवस्था के साथ इसको पारित न किया जाय। मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि काश्तकारों की तकलीफ देखते हुए इस क्लॉज़ को पास न करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, माननीय दोनों सदस्यों ने जो शंका इस क्लॉज़ के लिए प्रकट की है वह ठीक नहीं है। वे भी इस बात को मानते हैं कि जयपुर

Page No.30

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जैसे शहर हों और ऐसे शहरों की एक लाख से अधिक आबादी हो उनको अरबन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाय, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह कहना कि राजस्थान सरकार को बिल्कुल ऐसे अधिकार चाहिए, जिस एरिया को चाहे उसको डिक्लेयर कर देगी अरबन एरिया और फिर सेस लगा देगी, यह बात नहीं है। बल्कि इस धारा को मुलाहिजा करेंगे तो साफ लिखा हुआ है :

" Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may at any time, by notification in the Rajasthan Gazette direct that any urban **area** that may have developed in any part..........."

These words are very significant and the Rajasthan Government will not have unlimited powers to declare as urban area, but only subject to the condition that any area which may have developed; only that area will be declared as urban area, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि यह शंका करें कि राजस्थान गवर्नमेंट चाहे जिस एरिया को अरबन एरिया डिक्लेयर कर देगी। तो अरबन एरिया उसी वक्त डिक्लेयर किया जायगा जब कि वह डेवलप हो जायगा। जब डेवलप हो तो माननीय सदस्य स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि बिसाइड्स रेन्ट अरबन रेट भी कायम होना चाहिए। जयपुर को ही समझ लीजिये कि चूंकि यहां मारकेटिंग फेसिलिटीज़ हैं, ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज़ हैं, बिजली वगैरह की फेसिलिटीज़ हैं, कन्ज़म्प्न शहर का इस प्रकार का है कि सब्जी वगैरह की काश्त करने से काफी फायदा होता है, मेन्योर वगैरह की फेसिलिटी हैं; इस लिहाज़ से अरबन रेट का कायम होना बहुत आवश्यक है। माननीय सदस्य ने जयपुर जैसे शहर के लिए वह रेट लगाया जाने के लिए कहा है कि हर्ज नहीं है। यह कहा गया है कि यह सरकार की कोशिश रहेगी कि किसी भी क्षेत्र को अरबन एरिया डिक्लेयर कर दिया जायगा, लेकिन जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक डिक्लेयर नहीं किया जायगा। ऐसी सूरत में शंका करने की आवश्यकता नहीं है और जैसा कि क्लॉज़ है वह ठीक है, बिल्कुल पारित करने के लायक है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २१६

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१६ विधेयक अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २१६ ए एवं २१६ बी

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २१६ ए और २१६ बी विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २१६ ए और २१६ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २१७ से २२४

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ेज़ २१७, २१८, २१६, २२०, २२१, २२२, २२३, और २२४, विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २१७ से २२४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २२५ से २३०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २२५, २२६, २२७, २२८, २२६, और २३० विधेयक के अंग बनें ।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २२५से २३० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २३१ से २३८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७ व २३८, विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २३१ से २३८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २३९से २५६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५ और २५६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३९ से २५६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज २५७, श्री हिम्मतसिंह।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २५७ के विषय में मेरा संशोधन है कि इसके बाद में एक प्रोवीजो और एड किया जाय—

"Add a proviso to this clause as under:—

'Provided that the seed has first been paid in eash or in kind if borrowed from a co-operativo society, the Governme it, or a Bohra,'' कारण इसका यह है कि भूतपूर्व कोटा रियासत में ऐसा नियम था और अभी तक भी चालू है कि जमीन के लिए बीज की

[श्री हिम्मतसिंह]

सबसे पहले आवश्यकता होती है। बीज के लिए ग्रो मोर फुड के कारण समझिये या रियासत और प्रजा के हित के कारण समझिये, जमीन पर काश्त कराने के लिए उसके सीड का इन्तजाम करने की रियासत ने अपनी जिम्मेवरी ली। वैसे तो हमेशा से बोरगद वगैरह बीज काश्तकारों को देते आये हैं और बाड़ी से वापिस वसूल करते हैं, लेकिन ऐसा मौका आ जाता है कि जब कि बोहरे बीज देने में किसी कारण से इन्कार कर दें तो उस वक्त राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है और राज्य हस्तक्षेप करके बोहरों से लाजिमी तौर पर बीज दिलाता है इसलिये कि जमीन पड़त नहीं रह जाय, खूब गल्ला पैदा हो, पैदावार हो और सब को खाने को मिले। साथ ही राज यह जिम्मेदारी लेता है कि जो बीज स्टेट बैंक से या बोहरगान से काश्तकारों को दिलाया गया है वह बीज राज के लगान के पहले वसूल करा दिया जावे।

इसलिये मैने यह अमेंडमेंट एज़ प्रोविजो एड करने के लिये पेश किया है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल साफ है और माननीय मन्त्री महोदय के भी ध्यान में जचेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—और इसे स्वीकार करने का वादा कर चुके हैं।

राज श्री हिम्मतसिंह—एक ही अमेन्डमेंट है और वादा भी किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—आगे के अमेन्डमेंट के लिये किया है।

राज श्री हिम्मतसिंह—अगर इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो इससे यह पाया जायगा कि सरकार स्वार्थी है, परमार्थी नहीं है; अपना खुद का फायदा उठाना चाहती है, दूसरों का फायदा नहीं सोचती और "ग्रो मोर फूड कम्पेन" नहीं करना चाहती। जो बीज सरकार की ओर से दिया जाता है उसको देखते हुए हम आशा नहीं करते कि काश्तकारों को पूरा बीज दे दिया जा सकेगा या उनको बोहरगान से पूरा बीज मिल सकेगा क्योंकि बोहरगान को खतरा रहेगा कि हमें हमारा दिया हुआ बीज वापिस नहीं मिलेगा। जब तक इस प्रकार के खतरे को सरकार दूर नहीं करेगी तब तक बोहरगान बीज देने में हिचकिचायेंगे। उनको खतरा रहेगा कि काश्तकार नहीं बीज देंगे तो अदालतों में जाना पड़ेगा, मुकदमेबाजी में खर्च से जेर-बार होंगे और इस तरह बीज देने में कठिनाइयां पड़ेंगी और जमीन पड़त रह जायगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है वह खुद इस बात को बताता है कि वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। जहां तक सरकार के बीज का सवाल है उसको वसूल करने का हर एक लैंड रेवेन्यू कानून में प्रोविजन है "Land Revenue is the first charge and that has preference over every other charge."

[श्री दामोदरलाल व्यास]

बोहरों के बीज को आप पहले दिलाना चाहते हैं तो फिर तो लैंड रेवेन्यू ही वसूल होने की नहीं है। तो आपका यह जो अमेंडमेंट है कि सरकारी बीज दिया जाता है उसको पहले वसूल किया जावे तो वह तो बाढ़ी से वसूल होता है, in kind बीज से बीज वसूल होता है। इसलिये इसके लिये तो इसमें प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का क्लॉज है that is proper and that land Revenue must be first charge on the produce of the cultivator: इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसलिये इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया जाय और क्लाज़ जैसा है वैसा ही पास की जाय।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान में आज भी यह प्रणाली है, कोटा डिविजन में कि जहां पर ऐसा प्रोविजो रखा गया हैं, आज तक देखने में आया है और बराबर लैंड रेवेन्यु भी मिलती आई है। इस अमेंडमेंट से काश्तकारों को फायदा है और आपको अनुभव होते हुए भी क्या वजह है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—अनुभव आपका जरूर ऐसा है, पर इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लिया गया तो काश्तकारों से लैंड रेवेन्यु बिल्कुल वसूल नहीं हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष—Experience, but a bad one!

श्री हिम्मतसिंह—मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मन्त्री महोदय से ऐसा जवाब मिला। मैं ज्यादा तो अर्ज नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहूँगा कि यह जो कहा गया कि सरकार का लगान भी वसूल नहीं होगा, यह बड़े आश्चर्य की बात है। लगान वसूल नहीं होगा सरकार का? सरकार के हाथ बड़े लम्बे हैं, सरकार को क्या मुश्किल होगी? मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि हमारी रियासत में एक पैसा भी बाकी नहीं रहता था? हां, बाकी रियासतों में ऐसा रहता था, राजस्थान गवर्नमेंट में बकाया के लिये आ रहा है, अभी कौनसा पैसा पैसा वसूल हो गया है, आज सरकार दावे के साथ नहीं कह सकती कि सरकार का पूरा पैसा वसूल हो गया है, एक भी पैसा बकाया नहीं है। ऐसी स्थिति आ गई है कि बकाया का कोई ठिकाना नहीं है। लोग-बाग कहते हैं कि हमसे मांगने के लिये कोई आता ही नहीं है, किस को दें?

फिर बीज की यह स्थिति है कि पूरा मिलता नहीं है और फिर इस प्रकार 'ग्रोमोर फूड' में बाधा डालने की कोशिश की जाती है। धरती माता है, वह सब से पहले बीज चाहती है न कि लगान, इसलिये सबसे पहले जो देता है उसका हक है, सरकार का बाद में हक है। भूतपूर्व स्टेट में ऐसा ही था कि बीज पहले वसूल करते थे और बाद में लगान वसूल किया जाता था। मगर सरकार की ऐसी ही मर्जी है तो क्या किया जाय?

Page No.35

श्री अध्यक्ष—अमेंडमेंट को वोट पर रखूं ?

राज श्री हिम्मतसिंह—हां, साहब ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५७ पर जो संशोधन श्री हिम्मत सिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

नां पक्ष जीता ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Ayes have it, sir.

श्री अध्यक्ष—तो क्या डिवीजन चाहते हैं ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—उसूल का सवाल है साहब ।

श्री अध्यक्ष—और बहुत मौके आयेंगे ।

(विराम)

ना पक्ष जीता, संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५७ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज़ २५८ व २५९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २५८ व २५९ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २५८ और २५९ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ २६०, श्री श्यामलाल गोयल ।

(अनुपस्थिति)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६० विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २६१, श्री श्यामलाल गोयल

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६१ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २६२ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६२ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ २६३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६३...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—It has been deleted.

श्री अध्यक्ष—Sorry. Clause 264, Shri Shyam Lal Goel.

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ २६४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २६५, श्री श्यामलाल गोयल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ २६५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २६६, श्री श्यामलाल गोयल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ २६६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २६७, श्री श्यामलाल गोयल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ २६७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २६८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २६९, श्री श्यामलाल गोयल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

Page No.39

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज २७०, श्री श्यामलाल गोयल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७० विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २७१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७१ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज़ २७२–२७५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २७२, २७३, २७४ व २७५ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २७२ से २७५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉजेज़ २७६ से २८४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २७६ से २८४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २७६ से २८४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २८५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २८५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २८७-२८८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २८७ और २८८ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २८७ और २८८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २८९, श्री शंभूसिंह।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २८६ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"(a) Marginal heading-

Add the words 'or landholders of adjacent land" after the words "co-sharers".

(b) (i) Insert the words 'or adjacent to an estate' in line 2 after the word 'estate' and before the word 'any'.

(ii) insert the words 'or landholder of an adjacent estate' after the word 'estate' occurring in line 3."

और इसके बाद :

"(c) Substitute the words 'one year' in place of the words 'seven days' occurring in line 2 of the proviso."

माननीय अध्यक्ष, प्रीएम्पशन बाइ कोशेअरर्स (Pre-emption by co-sharers) में जो बातें बताई गई हैं उसमें क्लॉज़ २६६ और क्लॉज़ २७१ की तहत में जो सेल होता है उसमें कोशेअरर्स शब्द को इसमें इन्क्लूड किया गया है। मेरी मंशा इसमें यह है कि केवल को-शेअरर्स को नहीं बल्कि इसके अलावा "landholders of adjacent lands" भी इसमें दाखिल कर दिया जावे। हमने एक कानून इस आशय का पास किया था और वह था "Consolidation of holding and prevention of fragmentation." होल्डिंग को कन्सोलीडेट करने के लिए यह जरूरी होता है कि ऐसा लेबर जो होता है और वह अगर खरीद ले तो वह नेचुरली होल्डिंग इकोनोमिक होगा। इसके अन्दर को-शेअर का है। मैंने देखा तो मालूम हुआ कि को-शेअरर है और एडजोइनिंग लैंड होल्डर्स नहीं है। अगर कोई तीसरी पार्टी उस जमीन को खरीद लेगी और पास का एडजोइनिंग लैंड का होल्डर है वह रह जावेगा और "Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings" का जो कानून है उसकी मंशा पूरी नहीं होगी। इसलिये इसको अवश्य कर देना चाहिये और इससे हमारे "Consolidation of Holdings" कानून का मकसद पूरा हो जावेगा मैंने यह एमेंडमेंट केवल विरोध के लिये नहीं पेश किया है। यह बिल्कुल निर्दोष संशोधन है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ में यह प्रोविजन है कि को-शेअरर को प्रिफरेन्स दिया गया है। जहां तक इस क्लॉज़ का सम्बन्ध है हम किसी स्ट्रेन्जर को मौका नहीं देना चाहते। मगर 'एडजोइनिंग' से यह होगा कि किसी जमीन के एडजोइनिंग २,३,४ या ५ होल्डिंग हों तो इसमें फरदर कम्पलीकेशन्स हो जावेंगे। इसलिये आपका सुझाव है

[श्री दामोदरलाल व्यास]

उसको मैं मानने में असमर्थ हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस प्रकार यह क्लॉज़ है वैसा ही ठीक है। मैंने इसका विरोध के लिए विरोध नहीं किया है लेकिन यह एक प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है।

श्री अध्यक्ष—Not very innocent as envisaged.

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, राजस्व मंत्री ने प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ की व्याख्या नहीं की इसलिये मुझे तो उनके उत्तर से संतोष नहीं होता। इसलिये मैं इसका उत्तर देना ठीक समझता हूं।

स्ट्रेन्जर है उसमें ऐसा आदमी हो सकता है जो बहुत दूर का होल्डिंग का है। फिर इससे क्या मतलब हो सकता है कि जमीन एडजोइनिंग वाले को नहीं दी जावे और इस क्लॉज़ के द्वारा यह तय क्यों नहीं किया जावे ? मैं तो इसको प्रेस करना चाहता हूं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एडजोइनिंग रख लिया जावे।

श्री अध्यक्ष— Adjacent field-owners may be too many and complications might arise in the case of so many adjoining fields.

श्री दामोदरलाल व्यास—There will be many adjacent lands to a field.

श्री अध्यक्ष—I think the point has not been brought home.

श्री नाथूराम मिर्धा—चारों तरफ होते हैं, किसको प्रिफरेन्स राइट में दिया जावे ?

श्री शंभुसिंह—एडजोइनिंग तक ही रख लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—But then the law of pre-emption will come into force. If we provide such a law that adjoining landhloders will have a prior right, then there will be complications. I do not know much implications of this.

कुं श्री जसवन्तसिंह—But in case of urban areas the law of preemption will prevail and there also there may be labourers. So these difficulties are always there.

श्री दामोदरलाल व्यास—The other alternative is given in the law of pre-emption. We cannot provide everything here. Why make piecemeal legislation here ? The general law is there.

Page No.43

श्री अध्यक्ष—The general law will come into force in place of this.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८९ पर जो संशोधन श्री शंभूसिंह का है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २८९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २९०, श्री श्यामलाल गोयल।

(अनुपस्थित)

क्लॉजेज़ २९० से २९२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २९०, २९१ व २९२ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २९०, २९१ और २९२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉजेज़ २९३ व २९४

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २९३ व २९४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २९३ व २९४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २९५, श्री श्यामलाल गोयल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २९५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २९६, २९७ व २९८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २९६, २९७ व २९८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २९६, २९७ व २९८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

राज श्री हिम्मतसिंह—२९८ में कुछ गलती रह गई है। "Enactments mentioned in First Schedule" यह सैकिंड आता है और (b) में फर्स्ट आता है।

श्री अध्यक्ष—In clause 298 ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I agree. It should be corrected.

Page No.45

श्री अध्यक्ष—Yes. the question is that the correction (amendment) be made in clause 298.

(स्वीकृत)

The Correction is accepted.

(विराम)

The question is that clause 298, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 298, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज़ २७४

(श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री से) अमेंडमेंट आप पेश कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ७४ पर मैंने एक अमेंडमेंट पेश किया है और वह इसलिए पेश किया गया है कि इसमें एक लेकुना (lacuna) रह गया था कि कॉस्ट की डिक्रियां अगर कोर्ट करेंगी तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और इसी लेकुना को पूरा करने के लिए डिक्रियां एक्ज़ीक्यूट की जांय तो उसके लिए प्रोसिजर रखा है; "that they will be executed as if they were money decrees passed by revenue courts."

मेरे ख्याल से यह इन्नोसेन्ट और नेसेसरी अमेंडमेंट है और वह स्वीकार होने योग्य है।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—कॉस्ट वाला।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां।

(विराम)

May I read the amendment ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास—"The following new sub-clause be added to clause 74 already passed by the Assembly :—

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(2) An order under sub-section (i) awarding costs to a party other than the State Government shall be executable as if it were a decree for money passed by a revenue court."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन, क्लॉज़ ७४ के अन्तर्गत श्री दामोदरजी व्यास ने रखा है, वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७४, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८१

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास—There is an amendment sent by me for deletion; that this may be deleted.

७४ में अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया गया है इसलिए ८१ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Well, clause 81 be totally deleted ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८१ को पूर्ण रूप से विलोपित कर दिया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। क्लॉज़ ८१ विधेयक से विलोपित किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ १०१

(विराम)

आप (श्री दामोदरलाल व्यास) अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—७४ वाला पास हो गया।

श्री अध्यक्ष—१०१ unathorised occupation and penalty thereof.

श्री दामोदरलाल व्यास—Is it an amendment NO. 292 i

श्री अध्यक्ष – Yes, 292

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं क्लॉज १०१ में यह अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहता हूँ कि जो जमीन आबादी की लोकल बोडीज़-म्युनिसिपेलिटीज़, पंचायत द्वारा दी गई है तो उसमें क्या प्रोसिजर होगा अगर एन्क्रोचमेन्ट हो जाय तो·······

"Amendment in line 3, sub-clause (1) of clause 101 as passed by the Assembly. After the words "at any time" the words, "of his own motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed" be inserted.

(ii) In sub-clause (5) of clause 101 as passed by the Assembly, for the word 'Collector' the words "Sub-Divisional Officer" be substituted.

यह क्लॉज़ सिर्फ इसलिए रखा है कि जो जमीन आबादी की लोकल बोडीज़ को ट्रान्सफर कर दी गई है उस पर अगर एन्क्रोचमेन्ट हो तो रेवेन्यू ओथोरिटीज़ किस प्रकार कार्यवाही करेंगे "either on its motion or on the application of the local authority to whom such land has been transferred."

मेरे ख्याल से यह अमेन्डमेन्ट साफ है और इसमें खास दिक्कत की बात नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—हम तो मान लेंगे लेकिन आपने फरमाया था कि हिम्मतसिंहजी के अमेन्डमेन्ट को मंजूर करने वाले हैं।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो जमीन लोकल बोडीज़ को ट्रान्सफर हो चुकी उसके लिए कार्यवाही कर सकते है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप इसको पूरा पढ़ियेगा। जो जमीन लोकल बोडीज़ को ट्रान्सफर होगी उसकी लोकल बोडीज़ की दरख्वास्त होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर भाषा तों ऐसी होनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—"In respect of such matters, and in respect of transfers to the local authority, on a motion passed by the local authority."

श्री दामोदरलाल व्यास—We have already added a sub-clause to this Chapter, that all the powers of allotment will vest in the local body to whom land is transferred. We have already added a n ew clause to this. इसलिए शकशुबहे की गुन्जाइश नह है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—My point is this, "Either on its motion or on the request of the local body", it means a general provision, a general power which does not distinguish one from the other. It should be " in such cases on its own motion and such matters on the application of the local body".

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस वक्त थे नहीं जब इन क्लॉजेज़ को पास किया गया था। जनरल प्रोसिजर बना है, ११२ सी, I do not remember exactly 'c' or 'd', बना कर रख दिया। जो पॉवर्स हमने दिये हैं तो These powers will be automatically come for allotment of land by local body to whom land has been transferredh इसलिए जनरल रूल बना रहे हैं। एक्सेप्शन्स सब अलग हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो क्लॉज़ १०१ पहले पास हो गया थी उसमें जो अतिरिक्त संशोधन श्री दामोदरजी व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०१, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लाज़ नं० १३७

(विराम)

An amendment was moved by Shri Chandmal Mehta for the deletion of the clause. This was the motion and then it was supported by Shri Bhairon Singh.

(विराम)

जवाब दीजिये इसका ।

श्री दामोदरलाल व्यास—Amendments were moved ?

श्री अध्यक्ष—Yes, for the deletion of clause 137." Fine for neglect to report."

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, ...

यह जो अमेंडमेंट दिया गया था श्री चान्दमलजी की ओर से उसका मतलब यह है कि म्युटेशन फीस लगनी चाहिये। वे १३७ वीं क्लॉज़ को डिलीट करवाना चाहते हैं जिसमें फाइन प्रोवाइड किया गया है । जो व्यक्ति वक्त पर म्युटेशन या ट्रान्सफर वगैरह की इत्तला न दे उसके लिये यह प्रोवीज़न है । म्युटेशन फीस लगाना उचित नहीं होगा, इसमें सिर्फ दस रुपया फाइन प्रोवाइड किया गया है । अगर आपकी इजाजत हो तो क्लॉज़ १३७ में जहां दस रुपया फाइन रखा है वहां पचास रुपया कर दिया जाय । I think Rs. 50/-may be inserted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No amendment can be proposed now. मैं एतराज करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—They are concerned only with clause 137.

Page No.50

श्री दामोदरलाल व्यास—I was only replying to Mr. Chandmal's amendment that mutation fee will not be proper at this stage, provided we just insert Rs. 50/-for Rs. 10/-. मेरा परपज़ यह है कि ऐसी पिनेल्टी होनी चाहिये जब कम से कम म्युटेशन पर्पज़ेज़ के लिये जितनी ट्रांसफर्स या सक्सेशन वगैरह की सूचना टाइम पर दे, अगर कोई नहीं देता है तो इफेक्टिव पेनेल्टी जब तक नहीं होगी, पूरी फीस नहीं होगी तब तक टाइम पर इत्तला नहीं देंगे। म्युटेशन फीस में मैं इस वक्त इस स्टेज पर कोई संशोधन रखना नहीं चाहता। मेरा यह विचार है कि क्लॉज़ १३७ में जहां दस रुपये हैं वहां पचास रुपये कर दिये जांय।

श्री अध्यक्ष—वे तो इसको डिलीट करना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—ये तो डिलीट करवाना चाहते हैं। I am not prepared to accept that amendment. I can only accept it subject to this condition. I have given my condition.

श्री अध्यक्ष—जब दस की कन्डीशन डिलीट हो जायगी तो फिर ज्यादा रखने की तो बात ही नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—Then I will move my amendment.

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपना संशोधन विद्ड्रा करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३७ में जो अमेंडमेंट श्री चान्दमलजी ने रखा है उसको विद्ड्रा करने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री दामोदरलाल व्यास—With your permission, I want to move the amendment.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। अगर कोई एक सदस्य संशोधन मूव करता है और दूसरे सदस्य का भी उसी प्रकार का संशोधन है तो उसको उस संशोधन का समर्थन करने का अधिकार है, विड्ड्रा करने का नहीं। जब दूसरा सदस्य जो संशोधन का समर्थन करता है वह विड्ड्रा तो नहीं कर सकता और वह संशोधन का समर्थन करने से उस संशोधन को मूव नहीं करता और विड्ड्रा करने का भी अधिकार मूल संशोधन करने वाले को है। तो मेरा यह निवेदन है कि संशोधन मूव करने वाले और समर्थन करने वाले को भी अधिकार होना चाहिये, उसका राइट ऑफ ऐसा रिप्लाई होना चाहिये और समर्थन करने वाले के संशोधन को मूव किया हुआ समझा जाना चाहिये?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, जो बात सदन के सामने कही गई कि जो सदस्य संशोधन मूव करते हैं उनको विड्ड्रा करने का अधिकार होना चाहिये। जब माननीय सदस्य ने अपना अमेन्डमेन्ट मूव ही नहीं किया, जब उन्होंने मूव नहीं किया तो उनको विड्ड्रा करने का अधिकार भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—मैंने मूव इसलिए नहीं किया कि दोनों समान थे और वह टेक्निकली मूव समझा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास—When this was put to vote he should have taken objection. पहले इनको अपना संशोधन मूव करना चाहिये और कहना चाहिये था कि, "This should be taken as moved." He did not take either course.

श्री भैरोंसिंह—पहले उनका नम्बर था उसके बाद में मेरा, तो इसलिए उसका समर्थन करने के अलावा मेरे पास दूसरा चारा ही नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप यह एतराज इस क्लॉज के स्वीकृत होने से पहले करते। पीछे बैठे क्यों रहे?

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १३८ ए।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, हमेशा से यह गलत परम्परा चली आ रही है। यह एक प्रकार से बोलने व प्रत्युत्तर देने के अधिकारों पर हस्तक्षेप सा होता जा रहा है। अतः आपका उचित रूलिंग हो जाना चाहिये, ताकि आगे से ठीक हो।

श्री अध्यक्ष—The Hon' ble Member did not even support this motion, this is evident from the record which is before me.

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह—इसके लिये अर्ज नहीं कर रहा हूँ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १३८ ए।

श्री दामोदरलाल व्यास—137 was deferred ? 138 A and 138 B were not moved ?

श्री अध्यक्ष—Both were moved.

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने अमेन्डमेंट (नये क्लाउड १३८ ए व १३८ बी को जोड़ने के) वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री चांदमल मेहता को संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—शिड्यूल प्रथम व शिड्यूल द्वितीय।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल प्रथम और शिड्यूल द्वितीय विधेयक के अंग बनें।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

शिड्यूल प्रथम व शिड्यूल द्वितीय विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—Perhaps there was some amendment of Shri Jawan Singh to Schedule I. The Amendment No. is 127. He is not here, but it may be called. The amendment is there, it will not be moved.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १, टाइटल व प्रिएम्बल विधेयक के अंग बनें

(स्वीकृत)

खण्ड १, टाइटल व प्रिएम्बल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री अध्यक्ष—Clause by clause consideraction we have completed.

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री दामोदरलाल व्यास—May I move that the Bill be passed

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आज कैसे हो सकता है यह ?

श्री अध्यक्ष—He can move and then defer the questicn to be put.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कल दिन अच्छा है।

श्री दामोदरलाल व्यास— दिन तो रोज ही अच्छे हैं।

श्री अध्यक्ष—दिन तो उनके लिए आज वाला अच्छा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—When amendments have been made to a Bill, the motion for passing the Bill cannot be made the same day unless the Speaker otherwise directs. I presume the Hon'ble Speaker will not give any such permission; so the motion cannot be moved.

श्री हिम्मतसिंह—वे खुद ही मानते हैं इसे ।

सदन के भविष्य के कार्य क्रम सम्बन्धी वाद-विवाद

कुं॰ श्री जसवन्तसिंह—अब छुट्टी हो जावे, साहब ।

श्री अध्यक्ष—So tomorrow we will take the Municipalities Bill.

एक माननीय सदस्य—Not this

श्री अध्यक्ष—This will be passed. It will not take much time.

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—पहले बहस होगी, फिर लिया जावेगा न साहब ।

श्री अध्यक्ष—That we will see. We will take the Municipalities Bill first. तब तक आप इस पर तैयार हो जाइयेगा ।

श्री मथुरादास माथुर—Why not take Municipalities Bill whole of the tomorrow and on the 15th we will take this Bill ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी तैयार हैं साहब; then you will get some time to study this Bill.

श्री मथुरादास माथुर—इसके बाद में ले लेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कल कन्सीडरेशन का भी मोशन होगा । बात तो एक ही है ।

श्री अध्यक्ष—At the most we can take one hour for passing this Bill. We can take it at 11.30,

श्री दामोदरलाल व्यास—Provided the Members do not take more time.

अध्यक्ष—So we adjourn for tomorrow at 8.30.

एक माननीय सदस्य—8.45.

श्री अध्यक्ष—8.30.

(सदन की कार्यवाही ५ बज कर ४३ मिनिट पर, कल प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१२ दिसम्बर, १९५५।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

१३७. (४६ । सी. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, एम० एल० ए०, डिविजन नं० ४६-क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या करनपुर हाई स्कूल में बोर्डिंग का प्रबन्ध है ?

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने कमरे हैं और कितने लड़के रह रहे हैं ?

(ग) क्या सरकार इतने लड़कों के लिए इस प्रबन्ध को काफी समझती है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) होस्टल भवन में इस समय चार कमरे हैं। इसके अलावा दो पार्श्वप्रकोष्ट, एक रसोई व एक स्टोर है। इस समय छात्रावास में ३२ छात्र रह रहे हैं।

(ग) जी नहीं। सुविधाजनक भवन निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न

१३८. (१०० । सी. एम.) श्री लालबहादुर सक्सेना एम० एल० ए० डिविजन नम्बर ८२—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रामगढ़ रेलावन रोड पर कुछ पक्के काम होने का एस्टीमेट है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक काम हो जावेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का कब तक पक्की सड़क बनाने का विचार है ?

उत्तर

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी कुछ विचार नहीं है।

परिशिष्ट २

सूची अ.

(कृपया प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम व योग्यता	सीनियोरिटी लिस्ट में स्थान	लेन्थ ऑफ सर्विस
१	२	३	४
१.	श्री सुगनचन्द आर. ए. एस., बी. ए., एल एल. बी.	१६२	२० वर्ष
२.	श्री ताराचन्द आर. ए. एस., बी. ए.. एल एल. बी.	२०४	१८¾ वर्ष
३.	श्री टी. एन. काक, आर. ए. एस.	६४	१६ वर्ष
४.	श्री प्रह्लाद राय, आर. ए. एस., एम. ए., एल एल. बी.	२१७	६¾ वर्ष
५.	श्री गनपत राय, आर. ए. एस., बी. एस सी., एल एल. बी.	२१६	७ वर्ष
६.	श्री ए. पी. कौशिक, आर. ए. एस.	८८	६ वर्ष
७.	श्री जय शंकर श्रीमाली, आर. ए. एस., बी. ए., एल एल. बी.	१७४	१४ वर्ष
८.	श्री विद्यासागर शर्मा, आर. ए. एस., बी. ए. एल. एल. बी.	१०८	२३¾ वर्ष
९.	श्री गनेश शंकर द्विवेदी, आर. ए. एस., बी. ए. एल एल. बी.	२१०	८¾ वर्ष
१०.	श्री के. जी. राज., आर. ए. एस.	२१२	८ वर्ष
११.	श्री अब्दुल जलील काजी, आर. ए. एस. बी. ए., एल एल. बी.	६६	२२ वर्ष
१२.	श्री भवानीशंकर शर्मा, आर. ए. एस., बी. ए., एल एल. बी.	२२८	१६ वर्ष
१३.	श्री गनेशसिंह. आर. ए. एस., मैट्रिक्यूलेट.	१०६	२८½ वर्ष
१४.	श्री मदनसिंह शक्तावत आर. ए. एस., बी. ए., एल एल. बी.	१६६	१६ वर्ष
१५.	श्री विशम्भरसिंह, आर. ए. एस., बी. ए., एल एल. बी.	२०७	८½ वर्ष
१६.	श्री मोतीलाल कक्कड़, आर. ए. एस., एम. ए., एल एल. बी.	२३६	१२ वर्ष
१७.	श्री दौलतसिंह कोठ्यारी, आर. ए. एस., बी. ए., एल एल. बी.	२३०	१२¾ वर्ष
१८.	श्री मोहनसिंह भंडारी, आर. ए. एस., बी. ए.	१५४	१५ वर्ष
१९.	श्री जसवन्तसिंह साहीवाला, आर. ए. एस., एम. ए. एल एल. बी.	१४०	१६ वर्ष
२०.	श्री एस. पी. मैनी, आर. ए. एस., बी. ए., एल एल. बी.	१८९	१४½ वर्ष

१	२	३	४
२१.	श्री हनुमान सहाय रावत, आर. ए. एस., बी. कॉम.	८४	१७ वर्ष
२२.	श्री जगपालसिंह, आर. ए. एस., बी. ए., एल. एल. बी.	१५०	१२¾ वर्ष
२३.	श्री गोविन्द नारायण शर्मा, आर. ए. एस. बी. एस. सी. एल. एल. बी.	२४७	११ वर्ष
२४.	श्री पी. एन सिंघल, आर. ए. एस., एम. ए., एल. एल. बी.	२२३	५ वर्ष
२५.	श्री गोपीनाथ गुप्ता, आर. ए. एस., बी. एस सी.	१६०	१७ वर्ष
२६.	श्री जगरूपसहाय माथुर, आर ए. एस., बी. ए.	२३६	१३ वर्ष
२७.	श्री जमनालाल लड्ढा, आर. ए. एस, बी. ए.	१६७	१२¼ वर्ष
२८.	श्री किशनलाल धाभाई, आर. ए. एस., बी. ए., एल एल. बी.	२४०	१५ वर्ष
२९.	श्री नरेन्द्रसिंह, आर. ए. एस.	१६६	२१½ वर्ष
३०.	श्री किरन बाबू, आर. ए. एस., बी. एस सी., एल एल. बी.	२३७	१२⅙ वर्ष

सूची ब

१. श्री गंगाराम पुरोहित, आर. ए. एस.
२. श्री रंगदत्त शर्मा, आर. ए. एस.
३. श्री गेहरालाल, आर. ए. एस.
४. श्री रामचन्द्र ओझा, आर. ए. एस.
५. श्री रघुराजसिंह, आर. ए. एस.
६. श्री राधाबल्लभ चौधरी, आर. ए. एस.
७. श्री जयसिंह, आर. ए. एस.
८. श्री हजारीचन्द्र, आर. ए. एस.
९. श्री अकबर मोहम्मद, आर. ए. एस.
१०. श्री जगदीशचन्द्र त्रिवेदी, आर. ए. एस.
११. श्री हरीसिंह यादव, आर. ए. एस.
१२. श्री जगदीशराम शर्मा, आर. ए. एस.
१३. श्री जगदीशनारायण मिश्रा, आर. ए. एस.
१४. श्री करणसिंह, आर. ए. एस.

Page No.59

१५. श्री इन्द्रसिंह शेखावत, आर. ए. एस.
१६. श्री ब्रजमोहन पुरोहित, आर. ए. एस.
१७. श्री रामचन्द्र हरीत, आर. ए. एस.
१८. श्री रमेशचन्द्र गुप्ता, आर. ए. एस.
१९. श्री सज्जननाथ मोदी, आर. ए. एस.
२०. श्री महादेवमल सिंघवी, आर. ए. एस.
२१. श्री जे. पी. चन्दनानी, आर. ए. एस.
२२. श्री नरेन्द्रमोहन सक्सेना, आर. ए. एस.
२३. श्री गजानन्द, आर. ए. एस.
२४. श्री शिवदत्त शर्मा, आर. ए. एस.
२५. श्री के. एम. रस्तोगी, आर. ए. एस.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १५८ का उत्तर देखिये)

सूची उन व्यक्तियों की जिनको खुमाल राजस्थान निर्माण के बाद बन्द हो गई

क्र० सं० नाम व्यक्तियों के	रकम सालाना	किस वर्ष में बन्द हुई	कारण बन्द होने का
१. गंगा गुरु सोरूघाट	९)	सन् १९५१ में	गवर्नमेंट के हुक्म ता० ६.१२.५० के बन्द है। व्होराहयत तथा गंगा गुरू तीर्थ आदि के खर्चे अनावश्यक समझे जाकर बन्द किये गये थे।
२. पारीक गोवर्धन दास	२०)	,,	,,
३. चौबे अलवेली चन्द	४९)	,,	,,
४. कुरुक्षेत्र का पन्डा	३≡) ।	,,	,,
५. बद्रीनाथजी का पन्डा गोविन्दनारायण	२५)	,,	,,
६. साचोरा देवराज	५७) ।।	,,	,,
मीजान सन् १९५१	१६१≡) ।।।		

७. तहसील रूपनगर			
रामदयाल कासलीवाल कीन्ह	२१)	सन् १९५३ में	यह रकम तहसील रूपनगर की देवस्थान वजट में दर्ज नहीं मीली इस कारण देवस्थान विभाग जयपुर डिविजन की आज्ञा ता० २३-११ ५३ के अनुसार बन्द है।
८. तामड़ापत बालाबगस	६।≈)॥	,,	,,
९. व्यास किशनलाल	१०।)	,,	,,
१०. कासलिया श्रीधर	१०।)	,,	,,
११. काकडा गोपीवल्लभ	२५)	,,	,,
१२. जोशी श्रीनारायण	३७॥-)॥।	,,	,,
१३. ब्राह्मण गंगाधर हाल रामजीवण सुरसरा	२॥-)॥	,,	,,
१४. काकडा श्री निवास हाल गोपीवल्लभ	२६॥) ।	,,	,,
१५. श्रीमाली ऊमा शंकर	१७-)॥।	,,	,,
मीजान सन् १९५३	१५६≋)॥।		
१६. मुखिया पीताम्बरदास	११।≈)॥	सन् १९५५ में	वजट में रकम नहीं मिली इसलिये डाकी गई है मंजूरी की नकल मांगी जा रही है।
मीजान सन् १९५५	११।≈)॥		
मीजान कुल	३३१॥।≈)		

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं०	लाईन सं०	अशुद्ध	शुद्ध
६५४	४	ग्रश्न	प्रश्न
६८१	शीर्षक	१९५३	१९५४